



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, राजसाड़ा, जोधपुर - 342001
email- jodhpur-rj@gov.in वेब साइट joda.rajasthan.gov.in Phone No. 0291 2612086/265635-7 Fax 0291 2612086

क्रमांक: एफ-37/जेडीए/ले-आउट प्लान/2024/

(राजकाज सं. 06978)

1. श्रीमती इन्दू देवी सारण पत्नी श्री उम्मेदाराम
निवासी : 23. शिव विहार, सारण नगर,
डिगाडी रोड, जोधपुर।
2. श्रीमती सुगना देवी पत्नी श्री पप्पूराम सारण
निवासी : पण्डित जी की ढाणी, बैठवासिया,
तह. औसिया, जिला जोधपुर (पिनकोड 342303)

विषय :- राजस्व ग्राम बनाड़ के खसरा संख्या 255/4 रकबा 14568.20 वर्गमीटर में से 14427.02 वर्गमीटर में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा राजस्व ग्राम बनाड़ के खसरा संख्या 255/4 रकबा 14568.20 वर्गमीटर में से 14427.02 वर्गमीटर में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन हेतु प्राप्त प्रकरण भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 34/2024 वीं बैठक दिनांक 25.10.2024 में प्रस्तुत किया गया है। विचार-विमर्श उपरान्त प्रकरण में समिति द्वारा लिए गए निर्णय की प्रति सुलभ संदर्भ हेतु प्राधिकरण की वेबसाइट www.joda.rajasthan.gov.in पर अवलोकन किया जा सकता है।

(अनुज अग्रवाल)

उप नगर नियोजक

जोधपुर विकास प्राधिकरण

जोधपुर

पत्र प्राप्त,
7/11
पत्र जावकि साखा
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर (राज.)

Signature valid

Digitally signed by A. Agarwal
Designation: Deputy Town Planner
Date: 2024.10.27 16:36:43 IST
Reason: Approved





कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर — 342001

क्रमांक / एफ-49 / 90-क / जोन-01 / 2025 /

दिनांक :- Signed Date

प्रेषित :-

श्रीमती इन्दुदेवी सारण पत्नी श्री उम्मेदाराम सारण एवं,
श्रीमती सुगना पत्नी श्री पप्पूराम सारण,
निवासी:- जोधपुर

विषय :- रहन रखे गये भूखण्डों के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्राधिकरण द्वारा आपकी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 255/4, कुल रकबा 09 बीघा, ग्राम बनाड़ का 90-क का आदेश दिनांक 02/08/2024 को जारी किया गया, जिसका ले-आउट प्लान प्राधिकरण की ले-आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 25/10/2024 द्वारा अनुमोदित किया गया है।

उक्त कॉलोनी में आपके द्वारा 12.50 प्रतिशत भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण के पक्ष में रहन रखने हेतु एक रहननामा प्रस्तुत किया गया है जो नियमानुसार सही होने के कारण स्वीकृत किया जाकर **भूखण्ड संख्या 13, 14, 15, 16, 17, 30, 31, 43, 50, 51 कुल भूखण्ड 10, कुल क्षेत्रफल 1326.51 वर्गगज** को रहन रखा जाता है।

उपायुक्त (जोन-01),
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

Signature valid



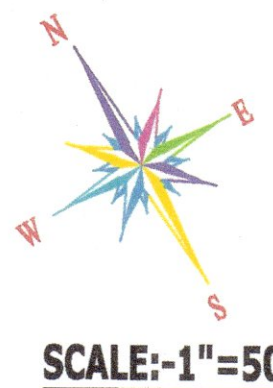
Digitally signed by Mukesh Bareth
Designation: Deputy Commissioner
Date: 2025.05.14 18:47:24 IST
Reason: Approved

LAY OUT PLAN OF KHASRA NO. 255/4 VILLAGE BANAR AT JODHPUR

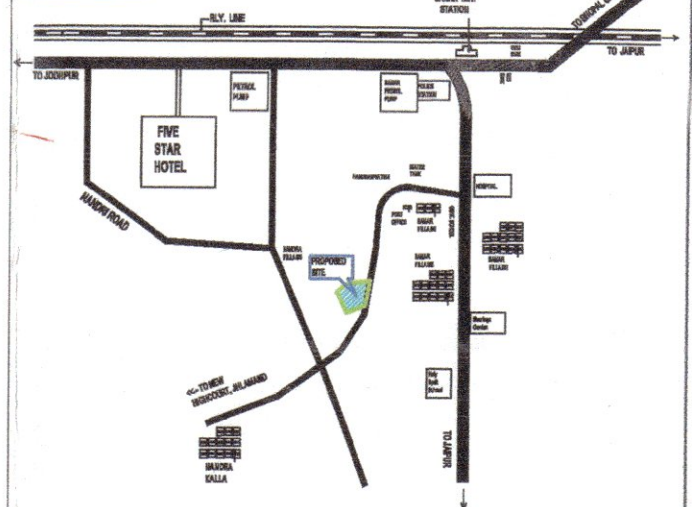
LAND USES ANALYSIS

PLOTS	AREA in Sq.yd.	AREA in Sq.mtr.	AREA OF %
TOTAL PLOT AREA	10208.80	8535.84	59.17 %
PARK AREA	874.15	730.90	05.07 %
M.T./S.W.D. AREA	81.76	68.36	00.47 %
ROAD AREA	6089.89	5091.92	35.29 %
TOTAL SCHEME AREA	17254.60	14427.02	100.00 %

Area in Bigha, = 8 Bigha, 18 Bishwansi, 05 Bishwansi

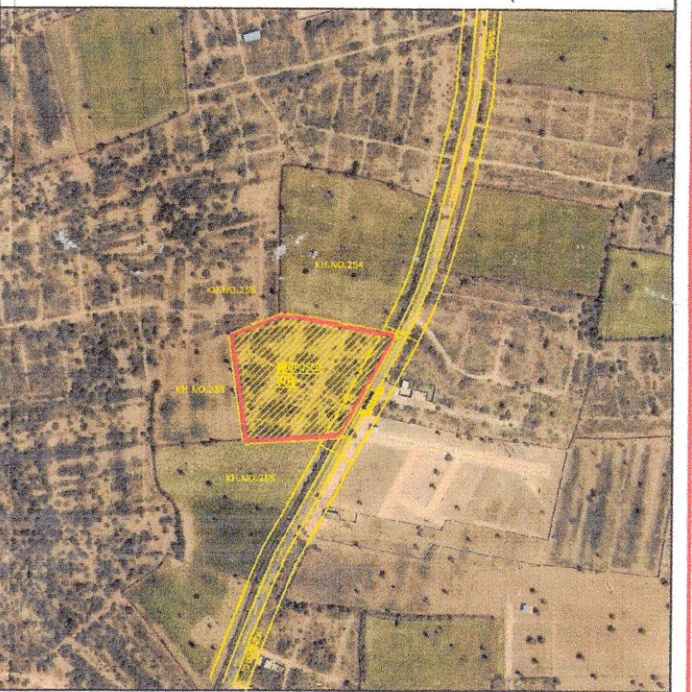


KEY-PLAN



KHASRA MAP

NOT TO SCALE



PLOT NO.	SQ.YDS.	SQ.MTR.
1	511.09	427.34
2	400	334.45
3	400	334.45
4	466.67	390.19
5	466.67	390.19
6	400	334.45
7	400	334.45
8	400	334.45
9	400	334.45
10	508.88	425.49
11	133.33	111.48
12	133.33	111.48
13	160.16	133.91
14	81.72	68.33
15	124.36	103.98
16	156.73	131.05
17	95.07	79.49
18	138.89	116.13
19	138.89	116.13
20	138.89	116.13
21	138.89	116.13
22	138.89	116.13
23	138.89	116.13
24	138.89	116.13
25	138.89	116.13
26	166.66	139.35
27	166.66	139.35
28	138.89	116.13
29	111.11	92.90
30	125.23	104.71
31	148.46	124.13
32	138.89	116.13
33	166.67	139.36
34	166.67	139.36
35	138.89	116.13
36	138.89	116.13
37	138.89	116.13
38	138.89	116.13
39	138.89	116.13
40	138.89	116.13
41	138.89	116.13
42	138.89	116.13
43	145.4	121.57
44	218.47	182.67
45	147.22	123.09
46	147.22	123.09
47	147.22	123.09
48	147.22	123.09
49	176.67	147.72
50	192.12	160.64
51	97.31	81.36
TOTAL	10208.8	8535.84

दिनांक 24.7.24 को सुपर इम्पोज/...
सत्यापित LAYOUT PLAN से प्रस्तुत LAYOUT PLAN
का निलाम कर सीमाओं को लाल रंगी से बिन्दु A से
E मार्क किया गया।

24.7.24
(बर्गमिटर सिद्ध)
निरीक्षक (भू.अ.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

628
JDA/Dir(P)/Z-01/26/12/24

एजेण्डा संख्या 03 (राजकाज सं. 00978) (बैठक दिनांक 25.10.2024) :-

जोन-01

1.	आयोजना शाखा में प्राप्त क्रमांक/दिनांक	302/14.08.2024
2.	आवेदक का नाम	श्रीमती इन्दु देवी सारण पत्नी श्री उम्मेदराम एवं श्रीमती सुगना देवी पत्नी श्री पप्पूराम सारण
3.	राजस्व ग्राम	बनाड़
4.	खसरा संख्या	255/4
5.	आवेदित भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	14568.20 वर्गमीटर में से 14427.02 वर्गमीटर
6.	प्राप्ति द्वारा चाहा गया उपयोग	आवासीय योजना
7.	निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- - प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट एवं मास्टर/जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार आवेदित भूमि के सामने 36 मीटर (सड़क के मध्य बिन्दु से 18 मीटर) सड़क मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्राप्ति की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निशुल्क समर्पित करवायी जावे। - समिति द्वारा टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों को समावेश कर नियमानुसार संशोधन करते हुए ले-आउट प्लान जारी किये जाने का निर्णय लिया गया। - आवेदित भूमि के मानचित्र/ले-आउट प्लान पर नियमानुसार सेटबैक का अंकन करते हुए जारी किए जाने की सुनिश्चितता की जावे। अन्य उपयोगों की ओर प्रस्तावित पार्क व खुला क्षेत्र की भूमि में पार्क डिजाईन के तहत 03 मीटर आन्तरिक पार्थ-वे (Walk-way) दर्शाया जावे। - राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी-2010 व उक्त के क्रम में समय समय पर जारी दिशा-निर्देशों अनुसार आवश्यक शुल्क एवम् नियमों की पालना की सुनिश्चितता जोन/आवेदक द्वारा की जावे। - मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधानानुसार 2 हे० से कम क्षेत्रफल की योजना में नियमानुसार विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के समतुल्य राशि जोन स्तर पर ली जावे। - रेरा अधिनियम-2017 के तहत राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) द्वारा दिनांक 14.03.2023 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों अनुसार निजी खातेदारी, निजी विकासकर्ता की उक्त प्लॉटड योजना (Plotted Development Project) में पट्टे जारी करने से पहले उस योजना का रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाया जाना अनिवार्य है। उक्त की सुनिश्चितता एवं प्रस्तावित योजना में जल एवं विद्युत आपूर्ति की सुनिश्चितता प्राप्ति स्वयं के स्तर पर किये जाने का शपथ-पत्र प्राप्त किये जाने की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे। - अनुमोदित मानचित्र में दर्शाये गए सुविधा क्षेत्र, सड़क, पार्क इत्यादि के डिमांडेशन की कार्यवाही होने, सड़क मार्गाधिकार में निर्माण नही होने, पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राशि लिए जाने एवं सेटबैक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाने इत्यादि की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे। - प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।	

20/11/24
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

26/11/24
निदेशक आयोजना
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

24.12.2024
उपायुक्त (जोन-1)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

Kumawat Survey & Planning Services
66, Laxmi Vihar, Madhuban Housing Board, Jodhpur
Reg. No. C.T.P. RAJNAGAR MITRA 2021 (861) 670